

हरियाणा सरकार  
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग  
अधिसूचना  
दिनांक 22 जनवरी, 1991

संख्या जे0 डी0-91/738- अद्यतन यथा-संशोधित पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 की धारा-4 की उप-धारा (1)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल नीचे दी गई और इससे संलग्न नक्शे में दर्शायी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार गांव अकलीमपुर के प्राथमिक विद्यालय, जिला गुड़गांव के आस पास के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र सहर्ष घोषित करते हैं।

अनुबन्ध

जिला गुड़गांव के अकलीमपुर में प्राथमिक विद्यालय के आस पास के नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी0 टी0 पी0 (जी) 147/90, दिनांक 1 अप्रैल, 1990 के साथ पढ़ा जाए।  
अनुसूची

- उत्तर:-** बिन्दु “ए”, से लेकर जोकि गांव पालड़ा, नूरपुर झरसा और अकलीमपुर की सीमा रेखा है, गांव अकलीमपुर की उत्तर पूर्व राजस्व सीमा तथा गांव भोंडसी की उत्तरी सीमा के साथ-साथ पूर्व की ओर बिन्दु “बी” तक जो कि गांव भोंडसी की आयत सं0 45 का उत्तर पूर्वी कोना है।
- पूर्व:-** उसके बाद दक्षिण की ओर आयत संख्या 45,50 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ उसके बाद पश्चिम की ओर आयत संख्या 50 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ उसके बाद दक्षिण की ओर गांव भोंडसी की आयत संख्या 90, 95, 129, 134, 162 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ बिन्दु “सी” तक, जो कि गांव भोंडसी की आयत संख्या 162 का दक्षिण पूर्व कोना है।
- दक्षिण:-** उसके बाद पश्चिम की ओर आयत संख्या 162, 163 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ, उसके बाद गांव भोंडसी की आयत संख्या 167, 196 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ बिन्दु “डी” तक, जोकि गांव भोंडसी की आयत संख्या 196 का दक्षिण-पूर्वी कोना है।
- पश्चिम:-** उसके बाद उत्तर पश्चिम की ओर गांव भोंडसी की पश्चिमी राजस्व सीमा और गांव अकलीमपुर की उत्तर-पश्चिमी सीमा के साथ-साथ बिन्दु “ए” तक, जो कि शुरु का बिन्दु है।

तरसेम लाल,  
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,  
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT  
Notification

The 22<sup>th</sup> January, 1991

No. JD-91/738- In exercise of the powers conferred by sub-section (i) (B) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 as amended upto date and all other powers enabling him the Governor of Haryana is pleased to declare the area around Primary School at Village-Aklimpur, District Gurgaon as specified in the schedule given below and shown on the plan appended hereto, to be a controlled area for the purposes of the said Act,:-

ANNEXURE

Schedule of Boundaries of the controlled area around Primary School at Village- Aklimpur, Dist. Gurgaon to be read with Drg. No. DTP(G) 147/90 dated 1<sup>th</sup> April 1990.

SCHEDULE

- North:-** Starting from point ‘A’ which is the trijunction of village Palra, Noorpur Jharsa and Aklimpur, thence towards east along the northern revenue boundary of village Aklimpur and northern boundary of village Bhondsi upto point ‘B’ which is the north eastern corner of rect. No. 45 of village Bhondsi.
- East:-** Thence towards south along the eastern boundary of Rec. No.45, 50 thence towards west along with southern boundary of Rect. No.50, thence towards south along the eastern boundary of Rec. No.90,95,129,134,162 of village Bhondsi upto point ‘C’ which is the south eastern corner of rectangle No. 162 of Village Bhondsi.
- South:-** Thence towards west along the southern boundary of Rectangle No. 162,163 thence towards south along the eastern boundary of rec. No. 167, 196 of village Bhondsi upto point ‘D’ which is the south eastern corner of rectangle No. 196 of village Bhondsi.
- West:-** Thence towards north-west along the western revenue boundaries of village Bhondsi and north western boundary of village Aklimpur upto point ‘A’ which is the point of start.

TARSEM LAL  
Commissioner & Secretary to Government, Haryana,  
Town & Country Planning Department.